REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2018

डॉ. अम्बेडकर द्वारा दलित समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण (गोलमेज सम्मेलन के सन्दर्भ में)

नेत्रापाल सिंह
शोध छात्र
(M.Phil History)

प्रस्तावना :

भारतीय समाज की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य बडे ही विलक्षण है। भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का अत्यधिक महत्व है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की आधारभूत रचना है जिस पर भारतीय समाज का ढांचा विकसित हुआ, इसी वर्ण व्यवस्था ने धीरे–धीरे जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया। इस वर्ण व्यवस्था के अन्तिम पायदान पर खडे शूद्र वर्ग का जीवन उत्तर वैदिक काल से पतन की स्थिति में पहुंच गया। शूद्र वर्गों को जीवन यापन की आवश्यक परिस्थतियो से भी वंचित किया गया और उनका सामाजिक तिरस्कार किया गया, जिसके फलस्वरूप शूद्र वर्ग का सामाजिक जीवन अत्याधिक कठिन हो गया। आधुनिक भारतीय इतिहास के कालखंड में अनेक दलित एवं गैर दलित नेताओं ने उनकी सामाजिक उन्नति के लिए संघर्ष किया। जैसा कि विदित है कि शूद्र वर्गों को दलित नाम महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अछूतों की दयनीय स्थिति को देख स्वयं अछूत बनकर उनके उद्धार का आन्दोलन चलाया।[1] लेकिन दलित मुक्ति के लिए जैसा प्रयास डॉ. अम्बेडकर ने किया, भारतीय इतिहास में उसकी मिशाल मिलना कठिन है। डॉ. अम्बेडकर ने दलित समाज की समस्याओं और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय समाज की व्यवस्थाओं के विरूद्ध संघर्ष छेड दिया। उन्होने दलितों की प्रत्येक समस्या के लिए आवाज उठाई। डॉ. अम्बेडकर दलित समस्या को विश्व स्तर पर ले गये। भारत की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में राउड टेबल कांफ्रेस बुलाने का फैसला लिया, जिसमे भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया था ताकि वे सब मिलकर भारत के भावी भविष्य पर विचार कर सके एवं भारत के लिए संविधान बना सके।[2] इस कांफ्रेस में सम्मिलित होने के लिए तत्कालीन वायसराय के द्वारा 6 सितम्बर सन् 1930 को डॉ. अम्बेडकर को भी दलित प्रतिनिधि के रूप में निमंत्राण दिया गया ताकि उनके पक्ष को सुना जा सके। 4 अक्टूबर सन् 1930 को डॉ. अम्बेडकर ने भारत छोड दिया और लंदन के लिए रवाना हो गये।[3]

12 नवम्बर सन् 1930 को कांफ्रेस प्रारम्भ हुई। इंग्लैण्ड के सम्राट ने कांफ्रेस का उद्घाटन करते हुए आशा व्यक्त की थी कि यहॉ पर निसन्देह सर्वसम्मति से भारत सरकार के भावी स्वरूप पर विचार हो सकेगा। इसमे दो राय नहीं है कि इसमे सम्मिलित व्यक्तियों के नाम सदैव इतिहास में यादगार के रूप में रहे, अतः यह कार्य अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण और गरिमा–युक्त है। यहॉ से आजादी और उसके अस्तित्व को नई दिशा मिलेगी और देश की सम्पूर्ण मनीषा का मंथन हो सकेगा।[4] इस कांफ्रेस का प्रारम्भ जेम्स पैलेस में हुआ और इस सम्मेलन के अध्यक्ष मैक्डोनाल्ड बनाये गये।

डॉ. अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित प्रतिनिध के रूप में भाग लिया। सम्मलेन में सभापित महोदय को सम्बोधित करते हुये डॉ. अम्बेडकर ने कहा ''मैं इस सभा में संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर उन दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनका मुझे और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।[5] यह ब्रिटिश भारत की 4 करोड 30 लाख जनता अथवा 1/5 प्रतिशत

जनसंख्या का पक्ष है। दलित वर्ग स्वयं में ऐसे लोगों का समूह है जो मुसलमानों से भिन्न एवं अलग है। यद्यपि उन्हे हिन्दु कहा जाता है किन्तु वे हिन्दु जाति का किसी भी अर्थ में अविभाज्य अंग नहीं है। वे न केवल उनसे अलग रहते है अपितु उन्हे जो दर्जा प्राप्त है, वह भी भारत में अन्य जातियों के दर्जे से बिल्कुल भिन्न है। अंतर केवल इतना है कि कृषि कर्मियों और नौकरों के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नही किया जाता, जबकि दलित वर्ग अस्पृश्यता के अभिशाप का शिकार है। उससे भी खराब बात यह है कि अस्पृश्यता के कारण उन पर लादी गई गुलामी से न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है बल्कि उन्हे समान अवसरो और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि इतने बडे वर्ग, जिसकी जनसंख्या इंग्लैण्ड अथवा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है और जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए भी सक्षम नहीं है, के दृष्टिकोण को हृदयगाम्य करने से समस्या का सही समाधान संभव होगा। मैं चाहता हूँ कि उस दृष्टिकोण से अधिवेशन प्रारम्भ से ही अवगत हो जाये।''[6]

अपनी बात को डॉ. अम्बेडकर ने आगे बढाते हुए कहाः– दलित वर्गों ने अग्रेजो का रूढिवादी हिन्दुओं के सदियो पुराने जुल्मों और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वालो के रूप में स्वागत किया गया था। लेकितन ब्रिटिश सरकार के सैकडो वर्ष शासन करने के पश्चात भी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमने वर्तमान सरकार का मूल्यांकन किया है और देखा है कि इसमें एक अच्छी सरकार के आधारभूत तत्वों का भी अभाव है।[7]

जब हम अंग्रेजी शासन से पहले की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते है तो हम देखते है कि आगे बढने के बजाय हम वहीं के वहीं खडे है। अंग्रेजी शासन से पहले अस्पृश्यता के अभिशाप के कारण हम घृणास्पद जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्यता को दूर करने का कोई कदम उठाया है? अंग्रेजी शासन से पहले मंदिरों में हमारा प्रवेश वर्जित था। क्या अब हम मंदिरो में प्रवेश कर सकते है? अंग्रेजी शासन से पहले हमे पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती थी। क्या अब हम पुलिस में जा सकते है? अंग्रेजी शासन से पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या सरकार ने हमारे लिये यह रास्ता खोला। इन प्रश्नों मे से किसी प्रश्न का उत्तर हॉ में नहीं है। हम पर अंग्रेजी शासन का लम्बे अरसे तक काफी प्रभाव रहा है, उन्होने हमारा जो भी भला किया उसे हम स्वीकारते है। किन्तु हमारी स्थिति में निश्चय ही कोई मूलभूत अन्तर नहीं आया है। वस्तुत जहॉ तक हमारा संबंध है, ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। अंग्रेजी शासन के 150 वर्ष बीत जाने पर भी हमारी तकलीफें उन खुले घावों की तरह है जिन पर मरहम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।[8]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजी सरकार पर भी दलितो की उपेक्षा का दोष मढा, उन्होने कहा कि अंग्रेजी सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकती, बल्कि इस कार्य को करने के लिए उनमे बिलकुल भी काबलियत नहीं है। दलित वर्गों ने देखा है कि अंग्रेजी सरकार के सामने भी गंभीर समस्याएं है। अगर वह कठोरता से सामाजिक स्तर से सुधार लाती है तो उसका भारतीय समाज में व्यापक विरोध होगा।[9] हम चाहते है कि भारत सरकार उन सामाजिक बुराईयों को दूर करने की आवश्यकता को समझे जो भारतीय समाज को घुन की तरह खाये जा रही है जिनके कारण दलित वर्ग अनेक वर्षों से अभिशप्त जीवन जीने को विवश है। भारत सरकार जानती है कि जमींदार जनता का खून चूस रहे है और पूॅजीपति कामगारों को जीवन यापन के लिए उचित मजदूरी नहीं दे रहे है तथा उनके लिए काम की बेहतर स्थिति भी पैदा नहीं करते है। बडे दुःख की बात है कि सरकार ने उन बुराईयों को दूर करने का साहस नहीं दिखाया। इसका कारण क्या है? क्या इन बुराईयों को दूर करने के लिए उसके पास कानूनी शक्ति का अभाव है? नहीं, यह बात नहीं है। इसका कारण यह है कि उसे भय है कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने से उसका विरोध होगा। ऐसी सरकार किस काम की जो दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकती।[10] हम महसूस करते है कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुखः दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ नही आती, हम भी उसे दूर नहीं कर सकते। जब तक सत्ता अंग्रेजों के हाथों मे रहेगी, तब तक इस राजनीतिक सत्ता का अंश मात्रा भी हमे मिलने वाला नहीं। स्वराज के अंतर्गत ही हमे राजनीतिक सत्ता में साझेदारी का कोई अवसर मिल सकता है, राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगो का उद्वार संभव नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने वक्तव्य को आगे बढाते हुये कहाः– हमे बार बार याद दिलाया जाता है कि दलित वर्गों की समस्या सामाजिक समस्या है और उसका समाधान राजनीति में नहीं है। हम इस विचार का जोरदार विरोध करते है। हम यह महसूस करते है कि जब तक दलित वर्गों के हाथों मे राजनीतिक सत्ता नहीं आती, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह सत्य है और मेरे विचार में इसके अलावा और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता कि दलित वर्गों की समस्या मुख्य रूप से राजनीतिक समस्या है और उसे ऐसा ही माना जाना चाहिये।[11] हम जानते है कि राजनीतिक सत्ता अंग्रेजी हाथों से निकलकर ऐसे लोगो के हाथों मे जायेगी जिनका हमारे जीवन पर अत्याधिक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व है। हम चाहते है कि अतीत में हम पर किये गये जुल्म, अत्याचार और अन्याय का स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात हमे सामना न करना पडे। अगर हमे सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो हो सकता है कि स्वराज प्राप्ति के पश्चात हमे पुनः उन जुल्मों एवं अत्याचारों का शिकार होना पडे। हमारी समस्याओं के समाधान में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। अतः सामान्य राजनीतिक समझोते के साथ ही हमारी समस्या का समाधान किया जाना चाहिये और उसे भावी शासको की सहानुभूति और सद्भावना की बालू पर नहीं छोडा जाना चाहिये।[12] अपनी बात को समाप्त करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा किः– अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है मुझे अपनी बात इतने स्पष्ट शब्दों मे कहनी पडी। इसका कोई और विकल्प नहीं है दलित वर्गों का कोई मित्रा नहीं है, सरकार ने अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अभी तक उनका इस्तेमाल किया है। हिन्दू उन पर अपना दावा उनको अधिकारों से वंचित करने अथवा यों कहिये उनके अधिकारो को हडपने के लिए करते है। मुसलमान उनके पृथक अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको भय है कि एक प्रतिद्वन्दी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जायेंगे। सरकार द्वारा दबाये, हिन्दुओं द्वारा सताये और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित दलित वर्ग बिलकुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी कोई मिसाल नहीं है इसलिए इसकी ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना पडा।[13]

डॉ. अम्बेडकर ने रात दिन एक करके जी तोड मेहनत की जिससे दलितो का कल्याण हो सके। इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर की धाक जम गई और उन्हे सब जगह गम्भीरतपूर्वक सुना व पढा गया। इसका एक परिणाम यह भी सामने आया कि उनकी इस मेहनत से सारा संसार दलितो के जीवन और स्थित से पूरी तरह पहली बार परिचित हुआ। इसी सम्मेलन से डॉ. अम्बेडकर ने दलित समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर उनके लिए राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के द्वार खोल दिये। उनके प्रयासो से पहली बार विश्व को मालूम पडा कि अमेरिका में नीग्रो लोगो की जो स्थिति है उससे भी कही बुरी स्थिति में भारत में दलित वर्गों का जीवन है। डॉ. अम्बेडकर के प्रयासो के फलवस्वरूप दलितो के हितो के लिए ब्रिटिश सरकार से उन्हे आश्वासन भी मिला। यह सब डॉ. अम्बेडकर का ही कमाल था जिन्होने दलितो का सही प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हितो के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयास किया और भारत के निर्माण में सदियो से उपेक्षित, शोषित, प्रताडित और अधिकार शून्य दलित वर्ग के महत्व को स्पष्ट कर दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. प्रो0 विपिन चन्द्रा, भारत का स्वतंत्राता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दि.वि. 2010, पृ.सं.276
2. राजेन्द्र मोहन भटनागर, डॉ. अम्बेडकर जीवन मर्म, जगतराम एण्ड संस, नई दिल्ली 2003, पृ.सं.82
3. उपरोक्त
4. राजेन्द्र मोहन भटनागर, पृ.सं.83
5. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय खंड–5, डॉ. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राालय, भारत सरकार नई दिल्ली, चौथा संस्करण 2013 पृ0सं015
6. उपरोक्त
7. उपरोक्त, पृ.सं.16
8. उपरोक्त
9. उपरोक्त, पृ.सं.17
10. उपरोक्त
11. उपरोक्त, पृ.सं.18

12. उपरोक्त, पृ.सं.19
13. उपरोक्त, पृ.सं.20